# न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, गिर्वा, जिला उदयपुर
## पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/24 GCMS : 2024/00053
पूर्व प्रकरण संख्या : 46/18

श्रीमती प्रभा कंवर पत्नि श्री युवराज सिंह सोलकी, निवासी– 34, ए–बी, श्रीराम नगर सेक्टर 14 हिरण मगरी उदयपुर

.....वादीया

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर
2. दिनेश जैन पिता एम.एल जैन आयु वयस्क निवासी जे.बी. नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई
3. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. गोपीलाल जैन पत्नी बसन्त कुवर पोरवाल आयु वयस्क निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर
4. श्रीमती मंजूला पित्न श्री शरद जैन, निवासी– अमर कॉलोनी राजपथ नगर, नई दिल्ली
5. श्रीमती मंजू जैन पुत्री श्री एम एल जैन निवासी–सिन्धु नगर भीलवाड़ा राजस्थान
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**

उपस्थित : नरपतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता वादीगण
तरूण श्रीमाल [illegible] प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

# निर्णय

दिनांक : 12.08.2024

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम नेला पटवार मण्डल सवीना खेडा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 113 आराजी संख्या 1290, 1291 किता 2 रकबा 0.3000 हेक्टयर खाता संख्या 273 आराजी संख्या 1292, 1296 किता 2 रकबा 0.2300 हेक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5300 हेक्टयर भूमि स्थित होकर वादीया अपने हिस्से में आई 0.2250 हैक्टयर भूमि पर काबिज है। आपसी सहखातेदारों ने मिलकर मौखिक बंटवाड़ा कर लिया है व अपने–अपने हिस्से पर सभी सह–खातेदारों ने मिलकर मौखिक बंटवाड़ा कर लिया है। वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप रूप से कानूनी बंटवाड़ा नहीं हुआ ा ही लगान अलग से कायम हुई है ऐसी स्थिति में वादीया अपनी भूमि का विकास करने मे असमर्थ हो रही है। वादीया ने अपने पति मार्फत दिनांक 10.03.2018 को प्रतिवादीगणों को अपने अपने कब्जे  व हिस्से में आई भूमि के अनुसार सहमति से बंटवाड़ा कराने का कहा लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नहीं हुए तब दिनांक 10.03.2018 को वाद उत्पन्न हुआ इसलिए आप न्यायालय में यह बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया की कब्जेशुदा भूमि 0.2250 हैक्टयर जो उपरोक्त आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित है वादीया के हिस्से में रखते हुए भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा कराया जाकर प्रतिवादीण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सूचना पत्र से सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त हुये, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के सम्मन जरिये अखबार अन्धेरी पूर्व मुम्बई, में दिनांकः 01.01.2020 को प्रकाशन करा वादीगण द्वारा अखबार प्रति पेश की जो संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 05.02.2020 को न्यायालय द्वारा जवाब असवर बन्द किये गये।

वादीया की साक्ष्य में वादीया द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो सलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत गहनता [illegible]लोकन किया गया। वादीगण का वाद केवल बंटवाडे का होने से [illegible] भूमि में सह–खातेदार है सह खातेदार को बंटवाडा कराने के अधिकारी है। [illegible] द्वारा वादी का वाद दिनांक 12.02.2020 को प्रारंभिक डिक्री किया गया। तह[illegible]दार गिर्वा द्वारा उभयपक्षकारों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh
Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति में प्रांरभिक डिक्री की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र किया गया जिसका वादीया द्वारा जवाब पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 को प्रकरण में आगे की कार्यवाही में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रारभिक डिक्री रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर कथन किया गया कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में रिपोर्ट बनाई गई है तथा वादग्रस्त आराजीयात सही से नपती नहीं की गई है। रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजीयात के आगे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग को दर्शाया नहीं गया है एवम् प्रभा कंवर की आराजीयात में आगे 25 फिट हिस्सा जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता हुआ है वादी की बाउण्ड्रीवाल होना दर्शित किया है जबकि आगे के 25 फिट हिस्से पर प्रभा कंवर काबिज है, जिससे प्रभा कंवर को प्लानटेषन हेतु उक्त हिस्से को रखना आवश्यक है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त सम्पति एव उसके पीछे की सभी सम्पतियॉ 25 फिट खिसक चूकि है, जिससे वादी, प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में 25 फिट अतिक्रमण की मंशा रखता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी की आपत्तियों का जवाब देते हुए कथन किया गया कि उक्त प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट उभयपक्ष के समक्ष तैयार की गई जिस पर प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मौके पर वादग्रस्त भूमि एवं मुख्य सड़क के मध्य 25 फिट भूमि स्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उक्त 25 फिट भूमि पर प्रभा कंवर का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया गया कि पुनः उभयपक्ष को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति मे प्रारभिक डिक्री की पालना कर बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रकरण जिसके प्रकरण संख्या 04 / 2024 अनवान घेर कंवर बनाम नरेन्द्र कुमार विचारधीन है। उक्त दोनों प्रकरण समान प्रकृति के होने से उक्त दोनों प्रकरण में ही एक साथ प्रारभिक डिक्री की गई एवम् उक्त दोनों प्रकरण में ही आपत्ति होने से पुनः बंटवाड़ा रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को पालना हेतु आदेशित किया गया, किन्तु तहसीलदार गिर्वा हस्तगत प्रकरण में पुनः रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 04 / 2024 अनवान घेर कंवर बनाम नरेन्द्र कुमार में प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दोनों प्रकरण समान प्रकृति तथा समान पक्षकारान् के होने से प्रकरण संख्या 04/2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट को ही हस्तगत प्रकरण में संलग्न की गई।

तहसीलदार गिर्वा द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण में नेशनल हाईवे (भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली) द्वारा 45 मीटर चौड़ाई में रोड़ अवाप्त की गई यानि सेन्टर से 22.5 मीटर दोनो तरफ, आराजी संख्या 1292 में जो भाग सड़क में गया उसे आराजी संख्या 4178/1292 रकबा 0.0600 हैक्टयर से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया जो मौके पर रोड़ के रूप में ही है। मौके पर हाईवे सेन्टर से दोनों तरफ 30 मीटर भूमि रोड़ के उदेश्य से छोड़ रखी है। अतः स्पष्ट है कि रोड़ की उत्तर दिशा में 7.5 मीटर छोड़ी गई भूमि आराजी संख्या 1292 का ही भाग है। उक्त तथ्य से प्रभाकुंवर पत्नि युवराजसिंह सहमत नहीं है। वह इस भूमि को नेशनल हाईवे में ही बता रहा है। आराजी संख्या 1292 व 4178/1292 एवं इसके पडौस के आराजीयात का गुगल ईमेज पर सुपरईम्पोज कर प्रस्तुत है।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें उन्होनें बताया कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रतिवादी द्वारा दी गई आपत्ति को तहसीलदार ने सुनवाई कर निरस्त करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया।

वादी द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौके पर हाईवे से सेन्टर दोनो तरफ 30 मीटर छोड़ी गई भूमि आराजी नम्बर 1292 का भाग बता दिया जबकि इसके समर्थना में मौके की नपती रिपोर्ट प्रस्तुत नही की क्योंकि मौके पर नपती नहीं की गई है। आराजी संख्या 4178/1292 पर मौके पर रोड़ बनी होना बता रहे है। वादीया की बाउण्ड्रीवाल इस आराजी नम्बर 4178/1292 के समाप्त होने पर ही बनी हुई ऐसा वादीया द्वारा मशीन से नपती करवाई उसके नक्शे में स्पष्ट दर्शा रखा है। अतः पूर्व में प्राप्त बटवाड़ा अनुसार ही फाइनल डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि नेशनल हाईवे द्वारा 45 मीटर चौड़ाई में रोड की अवाप्ति की गई यानि सेंटर से साढे 22 मीटर दोनों तरफ, आराजी संख्या 1292 में जो भाग सड़क में गया है, उसे आराजी संख्या 4178/1292 रकबा 0.0600 हैक्टयर राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया गया जिस पर मौके पर रोड़ के रूप में ही है। मौके पर हाईवे के सेंटर से दोनो तरफ 30 मीटर भूमि रोड़ के उद्देश्य से छोड़ रखी है जिससे स्पष्ट है कि उत्तर दिशा में साढे 7 मीटर भूमि चौड़ी छोडी गई भूमि आरजी संख्या 1292 का ही भाग है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष की आपत्तियों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वाद पत्र में पक्षकार

अथवा वादग्रस्त आराजीयात 1292 व 1293 में सहखातेदार मंजुला पत्नि शरद जैन का खाता अंकित नहीं किया गया है, जबकि मंजुला पत्नि शरद जैन वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है एवम् वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज रेकार्ड होने से उनका हक व हिस्सा निहित है। अतः मजुला पत्नि शरद जैन को भी मंजु पत्नि एम.एल. जैन एवम् सीतदेवी पत्नि बसन्तकुमार जैन के साथ शामिल रखते हुए शामिलाती खाते में अंकित किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मंजू पुत्री एम.एल.जैन को 1/8 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का, सीतादेवी पत्नि बसन्तकुमार 1/4 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्से का, मंजुला पत्नि शरद जैन को 1/8 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी प्रकार हिस्से को संयोजित रखते हुए तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट में संशोधन करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव के आधार पर फाइनल डिक्री जारी की जाती है। वादीया व प्रतिवादी सहखातेदार है एवम् तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड व मौके अनुसार है। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अतः तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट के आधार पर फाइनल डिक्री किया जाता है। अतः बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार :–

1. प्रभा कुंवर पत्नि युवराज निवासी 34 एबी रामनगर हिरण्रा मगरी सेक्टर 14 खातेदार :–

| आ.न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 1290 में से | 0.1050 | मगरी | 0.06 |
| 1291 में से | 0.0050 | मगरी | – |
| 1292 में से | 0.1100 | मगरी | 0.06 |
| 1296 में से | 0.0050 | मगरी | – |
| किता : 04 | रकबा : 0.2250 | | लगान : 0.12 |

2.. दिनेश पुत्र एम.एल. जैन निवासी जेबीनगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई 1/2, नरेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल 1/2 निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी खातेदार :–

| आ.न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 1290 में से | 0.1500 | मगरी | 0.09 |
| 1291 में से | 0.0400 | मगरी | 0.03 |
| किता : 2 | रकबा : 0.1900 | | लगान : 0.12 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

3. मंजु पुत्री एम.एल. जैन निवासी सिन्धुनगर भीलवाड़ा 1/4, सीतादेवी पुत्री गोपीलाल जैन, पत्नि बसन्त कुमार पोरवाल निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी 1/2, मंजुला पत्नि शरद जैन 1/4 हिस्सा खातेदार :–

| आ.न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 1292 में से | 0.0780 | मगरी | 0.05 |
| 1296 में से | 0.0350 | मगरी | 0.02 |
| 1292 में से | 0.0020 | मगरी | — |
| किता : 3 | रकबा : 0.1150 | | लगान : 0.07 |

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम नेला पटवार मण्डल सवीना खेडा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 113 आराजी संख्या 1290, 1291 किता 2 रकबा 0.3000 हेक्टयर खाता संख्या 273 आराजी संख्या 1292, 1296 किता 2 रकबा 0.2300 हेक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5300 हेक्टयर स्थित वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बंटवाडा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा, फाईनल डिक्री जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.**
**सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)**
**गिर्वा – उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
## (आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 12/24 सन 2024 सीगह वाद श्रीमती प्रभा कंवर पत्नि श्री युवराज सिंह सोलकी, निवासी– 34, ए–बी, श्रीराम नगर सेक्टर 14 हिरण मगरी उदयपुर बनाम (1) नरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर (2) दिनेश जैन पिता एम.एल जैन आयु वयस्क निवासी जे.बी. नगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई (3) श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. गोपीलाल जैन पत्नी बसन्त कुवर पोरवाल आयु वयस्क निवासी 3–बी हजारेश्वर कॉलोनी उदयपुर (4) श्रीमती मंजूला पित्न श्री शरद जैन, निवासी– अमर कॉलोनी राजपथ नगर, नई दिल्ली (5) श्रीमती मंजू जैन पुत्री श्री एम एल जैन निवासी–सिन्धु नगर भीलवाड़ा राजस्थान (5) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर वाद अन्तर्गम धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादीगण अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री तरूण श्रीमाल प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वाद पत्र में पक्षकार अथवा वादग्रस्त आराजीयात 1292 व 1293 में सहखातेदार मंजुला पत्नि शरद जैन का खाता अंकित नहीं किया गया है, जबकि मंजुला पत्नि शरद जैन वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है एवम् वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज रेकार्ड होने से उनका हक व हिस्सा निहित है। अतः मजुला पत्नि शरद जैन को भी मंजु पत्नि एम.एल. जैन एवम् सीतदेवी पत्नि बसन्तकुमार जैन के साथ शामिल रखते हुए शामिलाती खाते में अंकित किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मंजू पुत्री एम. एल.जैन को 1/8 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का, सीतादेवी पत्नि बसन्तकुमार 1/4 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्से का, मंजुला पत्नि शरद जैन को 1/8 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी प्रकार हिस्से को संयोजित रखते हुए तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट में संशोधन करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव के आधार पर फाइनल डिक्री जारी की जाती है। वादीया व प्रतिवादी सहखातेदार है एवम् तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड व मौके अनुसार है। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अतः तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक डिक्री की रिपोर्ट के आधार पर फाइनल डिक्री किया जाता है। अतः बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार :–

1. प्रभा कुंवर पत्नि युवराज निवासी 34 एबी रामनगर हिरण्रा मगरी सेक्टर 14 खातेदार :–

| आ.न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 1290 में से | 0.1050 | मगरी | 0.06 |
| 1291 में से | 0.0050 | मगरी | – |
| 1292 में से | 0.1100 | मगरी | 0.06 |
| 1296 में से | 0.1050 | मगरी | – |
| किता : 04 | रकबा : 0.2250 | | लगान : 0.12 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

2.. दिनेश पुत्र एम.एल. जैन निवासी जेबीनगर अन्धेरी पूर्व मुम्बई 1/2, नरेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल 1/2 निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी खातेदार :–

| आ.न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 1290 में से | 0.1500 | मगरी | 0.09 |
| 1291 में से | 0.0400 | मगरी | 0.03 |
| किता : 2 | रकबा : 0.1900 | | लगान : 0.12 |

3. मंजु पुत्री एम.एल. जैन निवासी सिन्धुनगर भीलवाड़ा 1/4, सीतादेवी पुत्री गोपीलाल जैन, पत्नि बसन्त कुमार पोरवाल निवासी 3 बी हजारेश्वर कॉलोनी 1/2, मंजुला पत्नि शरद जैन 1/4 हिस्सा खातेदार :–

| आ.न. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 1292 में से | 0.0780 | मगरी | 0.05 |
| 1296 में से | 0.0350 | मगरी | 0.02 |
| 1292 में से | 0.0020 | मगरी | – |
| किता : 3 | रकबा : 0.1150 | | लगान : 0.07 |

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम नेला पटवार मण्डल सवीना खेडा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 113 आराजी संख्या 1290, 1291 किता 2 रकबा 0.3000 हेक्टयर खाता संख्या 273 आराजी संख्या 1292, 1296 किता 2 रकबा 0.2300 हेक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5300 हेक्टयर स्थित वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बंटवाडा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा, फाईनल डिक्री जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख ..... माह ..... सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायाधीश .....

.....

वाद के खर्चे

| वादी | रुपया | पैसे | प्रतिवादी | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | | स्टाम्प प्रार्थना पत्र | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | | प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | |
| मेहनताना वकील ) पर | | | मेहनताना वकील ) पर | | |
| खर्चा गवाह | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| आदेशिका की तामील | | | आदेशिका की तामील | | |
| विविध खर्चे | | | विविध खर्चे | | |
| योग | | | योग | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.09.25 10:16:28 IST
Reason: SelfAttested